न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–33 / 2024
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–20.06.2024
निर्णय दिनांक–08.01.2025

रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम ककराज कलां तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0) प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0) अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की भूमि आराजी ख0न0 233 व 566, 569, 571 कुल किता 03 कुल रकबा 0.3035 हैक्ट. व ख0न0 229, 478, 141/642 वाके ग्राम ककराज कलां, पटवार हल्का हाडीकलां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आरजीयात आवेदक व उसके परिवार के लोगो के नाम जरिये विरासत राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुयी है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर का नाम लिपिकीय त्रुटी से रामसहाय पुत्र देवकरण जाति गुर्जर दर्ज हो गया है। प्रार्थी का परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पेन कार्ड की प्रतियां संलग्न है। जिसमें प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर ही दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या 163, 164, 165, 166, 167 में अंकित भूमि में आवेदक प्रार्थी जो त्रुटीपूर्ण नाम रामसहाय पुत्र देवकरण जाति गुर्जर है। उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अतः आवेदक का आवेदन दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम ककराज कलां में स्थित खाता संख्या 163, 164, 165, 166, 167 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के त्रुटीपूर्ण इन्द्राज रामसहाय पुत्र देवकरण जाति गुर्जर के स्थान पर रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर किया जाने का आदेश प्रदान करे।

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम ककराज कलां के आराजी ख0न0 233 रकबा 0.0126 हैक्ट., खाता 167 में रामसहाय पुत्र देवकरण हि. 1/24 जाति गुर्जर सा.देह, आराजी ख0न0 566 किता 03 कुल रकबा 03035 हैक्ट., खाता संख्या 163 में ख0न0 229 रकबा 0.2276 हैक्ट., खाता संख्या 164 में वर्तमान में रामसहाय पुत्र देवकरण हि. 1/18 जाति गुर्जर सा.देह, आराजी ख0न0 478 रकबा 0.3161 हैक्ट., खाता संख्या 165 में वर्तमान में रामसहाय पुत्र देवकरण हि. 1/18 जाति गुर्जर सा.देह आराजी ख0न0 141/642 रकबा 0.8219 हैक्ट., खाता संख्या 166 में रामसहाय पुत्र देवकरण हि. 1/18 जाति गुर्जर सा.देह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम जरिये विरासत के नामान्तकरण संख्या 414 दिनांक 16.01.2008 से आयी है। उक्त नामान्तकरण से प्रार्थी का नाम रामसहाय पुत्र देवकरण जाति गुर्जर हो रखा है, जो अनवरत रूप से आदिनांक तक चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज पहचान पत्र, जन आधार कार्ड राशन कार्ड, पेन कार्ड इत्यादी की प्रति में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर दर्ज है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 ख0न0 233, 566, 569, 571 कुल किता 03 कुल रकबा 0.3035 हैक्ट. व ख0न0 229, 478, 141/642 वाके ग्राम ककराज कलां, पटवार हल्का हाडीकलां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आरजीयात आवेदक व उसके परिवार के लोगो के नाम जरिये विरासत राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुयी है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर का नाम लिपिकीय त्रुटी से रामसहाय पुत्र देवकरण जाति गुर्जर दर्ज हो गया है। प्रार्थी का परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पेन कार्ड की प्रतियां संलग्न है। जिसमें प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर ही दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या 163, 164, 165, 166, 167 में अंकित भूमि में आवेदक प्रार्थी जो त्रुटीपूर्ण नाम रामसहाय पुत्र देवकरण जाति गुर्जर है। उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अतः आवेदक का आवेदन दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम ककराज कलां में स्थित खाता संख्या 163, 164, 165, 166, 167 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के त्रुटीपूर्ण इन्द्राज रामसहाय पुत्र देवकरण जाति गुर्जर के स्थान पर रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर किया जाने का आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में बताया की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम ककराज कलां के आराजी ख0न0 233 रकबा 0.0126 हैक्ट., खाता 167 में रामसहाय पुत्र देवकरण हि. 1/24 जाति गुर्जर सा. देह, आराजी ख0न0 566 किता 03 कुल रकबा 03035 हैक्ट., खाता संख्या 163 में ख0न0 229 रकबा 0.2276 हैक्ट., खाता संख्या 164 में वर्तमान में रामसहाय पुत्र देवकरण हि. 1/18 जाति गुर्जर सा.देह, आराजी ख0न0 478 रकबा 0.3161 हैक्ट., खाता संख्या 165 में वर्तमान में रामसहाय पुत्र देवकरण हि. 1/18 जाति गुर्जर सा.देह आराजी ख0न0 141/642 रकबा 0.8219 हैक्ट., खाता संख्या 166 में रामसहाय पुत्र देवकरण हि. 1/18 जाति

Scanned with CamScanner

गुर्जर सा.देह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम जरिये विरासत के नामान्तकरण संख्या 414 दिनांक 16.01.2008 से आयी है। उक्त नामान्तकरण से प्रार्थी का नाम रामसहाय पुत्र देवकरण जाति गुर्जर हो रखा है, जो अनवरत रूप से आदिनांक तक चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेज पहचान पत्र, जन आधार कार्ड राशन कार्ड, पेन कार्ड, इत्यादी की प्रति में प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर दर्ज है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड साक्ष्य शपथ पत्र छीतर पुत्र देवकरण, रामदेव पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम ककराज कलां तह0 पीपलू व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थी का शुद्ध नाम रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 233 व 566, 569, 571 कुल किता 03 कुल रकबा 0.3035 हैक्ट. व ख0न0 229, 478, 141/642 वाके ग्राम ककराज कलां, पटवार हल्का हाडीकलां के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामसहाय पुत्र देवकरण जाति गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण नाम **रामसहाय पुत्र देवकरण जाति गुर्जर** के स्थान पर **रमेश पुत्र देवकरण जाति गुर्जर हि0 जमाबंदी अनुसार** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(अनिता कुमारी खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner